

राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, राज. जयपुर

क्रमांक एफ 14()कैम्पा/अप्रमुवसं/लेखा/ब.आ./पार्ट-1/2022-23/


दिनांक :...../...../2022

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के विभिन्न बजट आवंटन आदेशों के द्वारा आवंटित साइटों में निम्नानुसार संशोधन किया जाकर व्यय करने की रीति प्रदान की जाती है :-

1. बजट आवंटन आदेश संख्या 6 क्रमांक 3271-93 दिनांक 20.05.2022 द्वारा ए.पी.ओ. आईटम संख्या 31 : (b) Proposals for Development Works /Conservation Works in Jhalana Leopard Reserve (Amargarh & Lalbera Forest Block) : (1) Construction of 6' (6 feet) boundary wall around periphery - 2,000 RMT. @ Rs. 3,350/- per RMT. = Rs. 67.00 Lacs , मद के अन्तर्गत उप वन संरक्षक, वन्य जीव चिडियाघर जयपुर को वन खण्ड आमागढ़ लैपर्ड कन्जर्वेशन कार्यस्थल हेतु आवंटित बजट 6 फीट दीवार निर्माण 2000 र.मी. राशि रु. 67.00 लाख) के स्थान पर उप वन संरक्षक, वन्य जीव चिडियाघर, जयपुर के पत्र क्रमांक 8185 दिनांक 11.10.2022 के द्वारा नवीन प्रस्तावित कार्यस्थल खरमोर कन्जर्वेशन रिजर्व के खिरिया व गोयला वनखण्ड रेंज पुष्कर में किया जाता है।
2. बजट आवंटन आदेश संख्या 46 क्रमांक 6324-55 दिनांक 18.08.2022 द्वारा ए.पी.ओ. आईटम संख्या 19 : Eco restoration and protection of forest area by construction of pucca wall (6 feet height) fencing at the boundary of the protected areas and other wildlife prone areas. मद के अन्तर्गत उप वन संरक्षक, वन्य जीव भरतपुर को बन्ध बारैठा अभ्यारण्य वनक्षेत्र सूखाशीला वन खण्ड I एवं II में कार्यस्थल हेतु आवंटित बजट (6 फीट दीवार निर्माण 750 र.मी. राशि रु. 25.12500 लाख) के स्थान पर उप वन संरक्षक, वन्य जीव भरतपुर के पत्र क्रमांक 7176 दिनांक 21.10.2022 के द्वारा नवीन प्रस्तावित कार्यस्थल बन्ध बारैठा /वनखण्ड दर बरहाना की साइट N26°52'12.01" E77°25'56.02", N26°52'11.21" E77°25'45.10" एवं N26°52'09.13" E77°25'25.81 (बनकूकरा से उपर को तरसूमा की तरफ) किया जाता है।

पूर्व में जारी बजट आवंटन आदेश में अंकित शेष शर्तें यथावत रहेगीं।


(शिखा मेहरा)


अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक एफ 14()कैम्पा/अप्रमुवसं/लेखा/ब.आ./पार्ट-1/2022-23/8113-20

दिनांक 23/11/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव जयपुर/वन्य जीव सवाई माधोपुर को प्रेषित कर लेख है कि समय-समय पर कैम्पा के कार्यों का निरीक्षण करेंगे एवं राशि जिस कार्य हेतु आवंटित की जारी है उसी कार्य पर व्यय किया जाना तथा वांछित रिकार्ड पूर्ण करवना भी सुनिश्चित करवायेंगे।
3. उप वन संरक्षक, वन्य जीव चिडियाघर, जयपुर/वन्य जीव भरतपुर।
4. सहायक सांख्यिकी अधिकारी (कैम्पा), को सम्पूर्ण कैम्पा कार्यों का मासिक प्रगति प्रतिवदेन (भौतिक एवं वित्तीय) तैयार कर प्रस्तुत करें।
5. सूचना सहायक, आई.टी. को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु/रक्षित पत्रावली।


(अभिषेक शर्मा)

उप वन संरक्षक (कैम्पा)
राजस्थान जयपुर।

Prepared
by DCP (CS)
23/11